

**केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वर्ष 2010 के लिए सिपाही/सामान्य ड्यूटी
(पुरुष/महिला) की भर्ती हेतु विज्ञापन**

- केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही/सामान्य ड्यूटी के पद की रिक्तियों को भरने के लिए भारतीय नागरिकों विशेषकर मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ राज्यों के पुरुष/महिला उम्मीदवारों से आवेदन आमत्रित किए जाते हैं ।
- वेतनमान – वेतन बैण्ड –1 रू0 5200–20200/– एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/–
- अन्य भत्ते – केन्द्रीय कर्मचारियों को नियमों के अन्तर्गत समय-समय पर देय अन्य भत्ते ।
- तैनाती स्थान – भारतवर्ष या भारतवर्ष के बाहर किसी भी क्षेत्र में ।
- (क) राज्य/श्रेणीवार जारी/अधिसूचित रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	राज्य का नाम	पुरुष उम्मीदवारों के लिए											महिला उम्मीदवारों के लिए										
		रिक्तियां							पिछली रिक्तियां				रिक्तियां			पिछली रिक्तियां							
		सामान्य	भू0पू0 सैनिक	अन्य पि0 वर्ग	भू0पू0 सैनिक	अनुसूचित जाति	भू0पू0 सैनिक	अनुसूचित जन जाति	भू0पू0 सैनिक	योग	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	योग	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	योग	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	योग
1.	मध्य प्रदेश	249	28	75	08	75	08	100	11	554	45	68	-	113	04	01	01	01	07	01	07	-	08
2.	छत्तीसगढ़	86	10	10	01	21	02	55	06	191	01	09	-	10	02	-	-	-	02	-	01	-	03

- (ख) उपरोक्त के अतिरिक्त केवल नक्सल प्रभावित जिलों के लिए जारी/अधिसूचित रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	राज्य का नाम	नक्सल प्रभावित अधिसूचित जिले/क्षेत्र	पुरुष उम्मीदवारों के लिए										महिला उम्मीदवारों के लिए				
			रिक्तियां										रिक्तियां				
			सामान्य	भू0पू0 सैनिक	अन्य पि0 वर्ग	भू0पू0 सैनिक	अनुसूचित जाति	भू0पू0 सैनिक	अनुसूचित जन जाति	भू0पू0 सैनिक	योग	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	योग	
1.	मध्य प्रदेश	बालाघाट	19	02	06	01	06	01	08	01	44	01	-	-	-	01	
2.	छत्तीसगढ़	बस्तर, बीजापुर, दन्तेवाड़ा, जशपुर, कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनन्दगाँव एवं सरगुजा	102	11	13	01	24	03	66	07	227	02	-	-	01	03	

टिप्पणी :-

- 1) उपरोक्त दर्शाई गई रिक्तियां प्रशासनिक कारणों से बिना सूचित किए परिवर्तित हो सकती हैं।
 - 2) यदि उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक नहीं आते हैं तो उनके लिए आरक्षितों वर्गों की रिक्तियों को उसी वर्ग के शेष उम्मीदवारों से भरी जाएंगी।
6. सभी चयनित उम्मीदवारों पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की तरह दिनांक 01/04/2004 से प्रभावी नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
7. भूतपूर्व सैनिक एक प्रशिक्षित सैनिक होने के कारण उनकी केवल लिखित तथा मेडिकल फिटनेस परीक्षण लिया जाएगा। सरकारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित शारीरिक स्तर तथा शिक्षा में पूर्ण छूट होगी। उन्हें वास्तविक आयु में से सैनिक सेवा की अवधि को घटाने की अनुमति प्रदान की जाएगी और यह घटाई गई आयु निर्धारित सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि सैनिक सेवा एवं पुनः नौकरी के व्यवधान की अवधि 24 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है।
8. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सेवारत कार्मिकों के आश्रित इच्छुक होने पर तदनुसार आवेदन कर सकते हैं। उन्हें सामान्य उम्मीदवारों की समान ही भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना होगा। सेवारत कार्मिकों के आश्रित या तो अपने गृह राज्य या भर्ती के समय जिस राज्य में उनके पिता/माता की तैनाती होगी, उस राज्य में भर्ती हेतु आवेदन पत्र भेज सकते हैं।

9. पात्रता की शर्तें :-

- क) **आयु** :- दिनांक 01/08/2010 को 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए।
छूट :- उपरी आयु सीमा में अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को 5 वर्ष तक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 03 वर्ष होगी। इसके अतिरिक्त :
- 1) जम्मू एवं काश्मीर राज्य के निवासियों के लिए उपरी आयु में 5 वर्ष तक की छूट (इस संदर्भ में सूचना पुस्तिका के पैरा-2 (ii) (ख) का संदर्भ ग्रहण करें)
 - 2) 1984 के सिक्ख दंगों तथा 2002 में गुजरात राज्य में हुए साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों तथा आश्रितों के लिए उपरी आयु में 5 वर्ष की छूट (इस संदर्भ में सूचना पुस्तिका के पैरा-2 (ii) (ग) का संदर्भ ग्रहण करें)

ख) **शैक्षिक योग्यता** :-मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा 10वीं पास

ग) **शारीरिक मापदंड** :-

उँचाई:-	पुरुष -	170 सेमी
	महिला -	157 सेमी
सीना (पुरुषों के लिए)	बिना फुलाए	-80 से0मी0
	फुलाकर	-85 से0मी0

(कम से कम 5 से0मी0 का फुलाव होना चाहिए)

छूट :-गढ़वाली, कुमायुंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों तथा सिक्किम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, काश्मीर एवं जम्मू काश्मीर राज्य के लेह

लद्दाख क्षेत्रों के उम्मीदवारों और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को शारीरिक मापदंड (उँचाई/सीना) में छूट होगी (इस संदर्भ में सूचना पुस्तिका के पैरा-2 (iv) (ख) (ग) एवं (घ) का संदर्भ ग्रहण करें)

वजन:- चिकित्सा स्तर के अनुसार उँचाई एवं आयु के अनुपात में।

ध) **चिकित्सा मापदण्ड**

सूचना पुस्तिका के पैरा -2 (v) (क) एवं (ख) के अनुसार ।

10. **चयन प्रक्रिया:-**

आवेदनों की जाँच के उपरान्त उन सभी योग्य उम्मीदवारों को जिनके आवेदन पत्र सही पाए गए हैं भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा । आवेदन प्राप्त करने वाले केन्द्रों में योग्य उम्मीदवारों की सूची लगाई जाएगी । उम्मीदवारों को निम्नलिखित परीक्षाओं से गुजरना होगा :-

- क) उँचाई परीक्षा
- ख) दौड़
- ग) पहचान जाँच
- घ) प्रपत्र/दस्तावेजों की जाँच
- ङ) शारीरिक मानदंड परीक्षा
- च) शारीरिक दक्षता परीक्षा
- छ) लिखित परीक्षा
- ज) चिकित्सा परीक्षा

नोट :- चयन प्रक्रिया के पूर्ण विवरण सूचना पुस्तिका के पैरा 3 में देखें ।

11. इच्छुक उम्मीदवार निम्नलिखित डाकघरों से दिनांक 26/07/2010 से 14/08/2010 के मध्य रू0 40/- (रूपये चालीस) मात्र पोस्टल हैण्डलिंग प्रभार के रूप में भुगतान कर आर0एम0आर0 आवेदन पत्र विस्तृत सूचनार्थ बुकलेट के साथ प्राप्त कर सकते हैं ।

क्रम सं०	राज्य का नाम	डाकघर का नाम जहाँ आवेदन पत्र उपलब्ध है
01.	मध्य प्रदेश	बालाघाट, बैतूल, भिण्ड, भोपाल, सीटीटी नगर, बीएचईएल एसबीबी, बुरहानपुर, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिन्डौरी, गुना, हरदा, खरखौन, होसंगाबाद, इन्दौर, इन्दौर नगर, जबलपुर, झबुआ, कटनी, खण्डवा, लश्कर, मंडला, मंदसौर, मोरार, मुरैना, नरसिंहगढ़, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिहोर, सियोनी, शहडोल, शाजपुर, शियोपुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया एवं विदिशा ।
02.	छत्तीसगढ़	अंबिकापुर, बैकुंठपुर, बीजापुर, बिलासपुर, दन्तेवाड़ा,

		धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, जॉजगीर, जशपुर नगर, कांकेर, कोवर्धा, कोरबा, महासमुन्द, मुंगेली, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर एवं राजनन्दगॉव
--	--	--

इसके अतिरिक्त सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे नजदीकी पोस्ट आफिस जहाँ ई-भुगतान की सुविधा है, में ई-भुगतान के द्वारा आवेदन प्रभार के रूप में ₹0 50/- (रूपये पचास) मात्र जमा कराए और ओ.एम.आर. आवेदन फार्म में ई-भुगतान की रिसीप्ट नंबर दर्शाए अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। उपरोक्त आवेदन प्रभार के अतिरिक्त सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को डाक विभाग को ई-प्रभार जैसा लागू हो का भी भुगतान करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से मुक्त रखा गया है। प्रत्येक ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र एक बार ही उपयोग में लाया जा सकता है। यदि डाकघरों से ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र प्राप्त करने में कोई कठिनाई होती है, तो उम्मीदवार को तत्काल संबंधित पोस्टमास्टर से संपर्क करना चाहिए। आवेदन पत्रों को पूर्ण रूप से भरकर अपने राज्य के निर्धारित आवेदन प्राप्त केन्द्रों के पते पर निर्धारित लिफाफों में हाथों-हाथ अथवा स्पीड/पंजीकृत पोस्ट के माध्यम से दिनांक 25/08/10 पुनः 25/08/10 तक कार्यालय समय के बंद होने के पूर्व पहुंच जाना चाहिए। अंतिम तिथि के उपरांत तथा अपूर्ण प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा तथा पूर्णतः निरस्त कर दिया जाएगा।

क्रम सं०	राज्य का नाम	आवेदन प्राप्ति केन्द्र
01.	मध्य प्रदेश	पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, ग्राम एवं पोस्ट-बंगरसिया, तालुक-हुजूर, जिला-भोपाल (म0प्र0) पिनकोड - 462045
02.	छत्तीसगढ़	पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, ग्राम-भरनी, पोस्ट-गनियारी, जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़) पिनकोड-495001

12. आवेदन पत्र के साथ कोई दस्तावेज/प्रमाणपत्र/जाति प्रमाण पत्र संलग्न कर भेजने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, जब उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के लिए भर्ती स्थल पर नियति तिथि एवं समय पर उपस्थित होगा उसे अपने साथ सूचना पुस्तिका में पैरा- 8 (iii) में दर्शाए गए दस्तावेजों की मूल प्रति एवं उनकी एक-एक सत्यापित छाया प्रतिलिपि लानी होगी :-

13. मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से संबन्ध रखने वाले उम्मीदवारों को उन्हीं के राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गये वैध अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निवास के आधार पर भर्ती के लिए विचार किया जाएगा।

14. उम्मीदवारों की सहायता के लिए एस.एम.एस. आधारित पूछताछ तथा निम्नलिखित हेल्पलाईन नम्बर सहित खोली गई है।

क)संपर्क वेबसाईट :-www.crp.gov.in - भर्ती -सि0/जीडी-2010
अथवा

www.crpfreruitment.org

ख) दूरभाष नंबर :- 0120 3800900

ग) एस.एम.एस. नं० :-सीआरपीएफ56767

इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार सेक्टर/आवेदन प्राप्त करने वाले केन्द्रों के निम्नलिखित लैण्डलाइन, मोबाईल और ई-मेल पतों पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं :-

राज्य	सेक्टर/आवेदन प्राप्त करने वाले केन्द्र	लैण्ड लाईन	मोबाईल	ई-मेल
मध्य प्रदेश	स्पेशल सेक्टर/ गुप केन्द्र, केरिपुबल, भोपाल	07480-262244	9479587388	adiggcbpl@crpf.gov.in
छत्तीसगढ़	स्पेशल सेक्टर/ गुप केन्द्र, केरिपुबल, बिलासपुर	07552-210432	7697799648	gcogcbpls@crpf.gov.in

15.

सामान्य निर्देश :-

- 1) केरिपुबल में नियुक्ति हेतु चयनित उम्मीदवार, केरिपुबल अधिनियम -1949 एवं नियमावली-1955 तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत शासित होंगे ।
- 2) शारीरिक दक्षता परीक्षण/यात्रा के दौरान घायल/चोटिल अथवा नुकसान हो जाने पर सरकार जिम्मेदार नहीं होगी ।
- 3) उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु लेखन सामग्री (नीला/काला बाल प्वाईट पेन तथा क्लिप बोर्ड इत्यादि) स्वयं लानी होगी ।
- 4) उम्मीदवारों को भर्ती के लिए ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी
- 5) उम्मीदवार अपने स्वयं के खर्च एवं जोखिम पर चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे और इसके लिए उन्हें कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा ।
- 6) सभी योग्य उम्मीदवारों को स्पीड/पंजीकृत डाक द्वारा भर्ती स्थान एवं तिथि से अवगत कराया जाएगा ।
- 7) सीने के एक्सरे, पैथोलॉजिकल तथा अन्य टेस्ट होने की शर्त पर ही उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए चयन होगा ।
- 8) उम्मीदवारों को भर्ती होने पर केरिपुबल के प्रशिक्षण संस्थानों में निर्धारित बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।
- 9) चयनित/नियुक्ति होने के उपरान्त यदि कोई उम्मीदवार अयोग्य या तथ्यों को छुपाने का दोषी पाया जाता है तो बिना कारण बताएं उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी ।
- 10) भर्ती के लिए कोई याचना करने या बाहरी प्रभाव डालने पर उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने से स्वतः अयोग्य हो जाएंगे ।
- 11) लिखित परीक्षा का परिणाम केरिपुबल की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाएगा साथ ही भर्ती केन्द्रों के बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा ।
- 12) भू0पू0 केरिपुबल के कार्मिकों को नये प्रवेशक के रूप में माना जाएगा तथा उन्हें भू0पू0 सैनिक के समान कोई छूट नहीं दी जाएगी ।

हस्ता0 / 19.07.2010
(राधा मोहन मीना)
पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशा0)

